

सूचना

2

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री पवन कुमार पिता श्री सीताराम साहु निवासी ग्राम: बिश्रामपुर, थाना: खलारी; ज़िला: राँची (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: बिश्रामपुर, थाना सं: 15(रैयती) खाता सं. 22 और 02 के अधीन प्लॉट सं. 380, 452 और 454; कुल रकबा - 02.04 एकड़ (रैयती) भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: बिश्रामपुर, थाना: खलारी, ज़िला: राँची (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: बिश्रामपुर, थाना सं: 15 (रैयती) खाता सं. 22 और 02 के अधीन प्लॉट सं. 380, 452 और 454; कुल रकबा - 02.04 एकड़ (रैयती), जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित किया गया है के तहत श्री पवन कुमार पिता श्री सीताराम साहु निवासी ग्राम: बिश्रामपुर, थाना: खलारी; ज़िला: राँची (झारखण्ड) रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

विवरशा कुमार
१५/०४/२०२२